

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून**

पत्रांक:- 3804/प्र0अ0/सिंचाई/कार्मिक-2/ई-6/स्था0

दिनांक 10/06/2025

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र-2025 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में पात्र निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती /कु0)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कमल रावत	पौड़ी	17.01.91	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खण्ड, जखोली	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खण्ड, बैजरों	धारा 17 (1)(ख) (छः)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस यथासंशोधित के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या:- 3804/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2025 हेतु खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर अनुरोध के आधार पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनुरोध के आधार पर)				
01	मनोज कुमार / 07.07.1975	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, नई टिहरी	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून	एकल अभिभावक 17(1)(ख) (पॉच)

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।
10. उक्त स्थानान्तरण हेतु कार्मिक को कोई स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

3803
संख्या: / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-11), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2025 हेतु खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण विधेयक की धारा जिसके अनुरूप स्थानान्तरण किया गया है
01	02	03	04	05
(अनिवार्य स्थानान्तरण)				
01	श्री राकेश कुमार सेमवाल/15.07.1973	सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग	सिंचाई खण्ड श्रीनगर	धारा 17 (1) (ख) (छः)

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: 3802 / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-1।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता